



सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा-2024

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 10.04.2024

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit)

किये जाने की अन्तिम तिथि: 10.05.2024

ऑनलाइन सबमिट आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee reconciliation) की अंतिम तिथि: 16.05.2024

महत्वपूर्ण

- (1) (i) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (ii) ओटीआर नम्बर के बिना ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जाना संभव नहीं होगा।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीआर नम्बर प्राप्त कर लें।
- (iv) ओटीआर नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

- (2) अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (3) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
- (5) अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित न करें।
- (6) अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड-कापी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञापित के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail पर प्रेषित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की [Website https://uppsc.up.nic.in](https://uppsc.up.nic.in) पर भी उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में 'O.T.R. BASED APPLICATION' system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन ही आवेदन करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

1. आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित **Sample Snapshots** भी प्रदर्शित होंगे।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम चरण - 'APPLY' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि:-

(i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई-मेल पर) अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से **Authenticate** कर सकते हैं। **Authentication** की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो:- a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के

तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(I) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES- उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट 'प्रिन्टर आइकन' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

चतुर्थ चरण- तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरांत अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

2- आवेदन शुल्क : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

- (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप परीक्षा शुल्क रु 100/- + ऑनलाइन प्रक्रिया से कमजोर वर्ग/शुल्क रु 25/- योग = रु 125/-
अन्य पिछड़ा वर्ग -
- (ii) अनुसूचित जाति/ - परीक्षा शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसूचित जन जाति शुल्क रु 25/- योग = रु 65/-
- (iii) दिव्यांगजन - परीक्षा शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 25/-
- (iv) भूतपूर्व सैनिक - परीक्षा शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 65/-
- (v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - अपनी मूल श्रेणी के अनुसार के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी

3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

नोट:- निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

4. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा-2024 में प्रवेश के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य (लिखित) परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। कतिपय पदों पर चयन उनकी सेवानियमावलियों में दी गई व्यवस्था के अनुसार केवल मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

5. **रिक्तियों की संख्या:-** वर्तमान में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा-2024 हेतु रिक्तियों की संख्या 268 हैं। जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

रिक्तियों का आरक्षणवार विवरण							
क्र0 सं0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	ई-डब्ल्यू.एस.	अनु0 जाति	अनु0 जाति	अनु0 जाति
1	जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी-2, ग्रेड-1	03	-	01	01	01	-
2	प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी-2	01	-	-	01	-	-
3	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' श्रेणी-2 (रसायन शाखा)	22	09	02	06	05	-
4	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' श्रेणी-2 (वनस्पति शाखा)	11	05	01	03	02	-
5	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' श्रेणी-2 (शस्य शाखा)	13	05	01	04	03	-
6	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' श्रेणी-2 (कृषि रक्षा शाखा)	36	18	03	09	05	01
7	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' श्रेणी-2 (विकास शाखा)	34	19	02	05	08	-
8	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (शस्य शाखा)	06	02	-	01	03	-
9	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (वनस्पति शाखा)	03	-	-	02	01	-

10	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (पौध संरक्षण शाखा)	98	17	14	39	26	02
11	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (रसायन शाखा)	20	07	02	—	09	02
12	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (विकास शाखा)	21	11	—	06	04	—
योग		268	93	26	77	67	05

वेतनमान- रु. 9300-34800 /- ग्रेड पे रु. 4600 /- (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल -7 पे मैट्रिक्स रु. 44900-142400 से रु. 15600-39100 /- ग्रेड पे रु. 5400 (पुनरीक्षित वेतनमान रु. 56100-177500 पे मैट्रिक्स लेवल-10) तक के वेतनमान के पद प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित है।

6. आरक्षण: उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार शैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा-उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा।

नोट:- (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी.सी., दिनांक 30 जुलाई, 2021 के अनुसार दिव्यांगजन की चिन्हांकित उपश्रेणियों का पदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	पदनाम	दिव्यांगजन की चिन्हांकित उपश्रेणियाँ
1	जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी-2, ग्रेड-1	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0
2	प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी-2	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0
3	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख', श्रेणी-2 (विकास शाखा एवं कृषि रक्षा शाखा)	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0
4	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप 'ए' (विकास एवं पौध संरक्षण शाखा)	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0
5	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' श्रेणी-2 (वनस्पति शाखा, रसायन शाखा, शस्य शाखा)	दिव्यांगता की उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है।
6	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप 'ए' (वनस्पति शाखा, रसायन शाखा, शस्य शाखा)	दिव्यांगता की उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है।

(2) शासनादेश संख्या 39 रिट/का-2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18/1/99/का-2/2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर 4 में दिये गये प्राविधान, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमत्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमत्य हैं' को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (स्व्ज। टप्से) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(3) किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

(4) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(5) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(6) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

(7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमत्य नहीं है।

(8) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

(9) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):-

आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:-

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अपडेटेडिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमत्य नहीं होगी, यदि

(क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

8. वैवाहिक प्रास्थिति :- ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

9. शैक्षिक अर्हताएँ :- आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑन-लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में अवश्य करें। विभिन्न पदों हेतु शैक्षिक अर्हताएँ संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत् हैं :-

ग्रुप-ए

लिखित परीक्षा + साक्षात्कार के माध्यम से चयन वाले पद

क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
1.	जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी-2, ग्रेड-1	अनिवार्य:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान/उद्यान विज्ञान में स्नातक (बी0एस0सी0 (कृषि/उद्यान)) उपाधि। अधिमानी:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान-कृषि/फल/शाकभाजी/पुष्प विज्ञान में स्नातकोत्तर (कृषि) (एम0एस0सी0 (कृषि)) उपाधि। (क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
2.	प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान/प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी-2	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान स्नातक (बी0एस0सी0) (एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक (बी0एस0सी0) के बाद राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से फल एवं शाक भाजी प्रौद्योगिकी में दो वर्षीय स्नातकोत्तर सहयुक्त पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से (खाद्य प्रौद्योगिकी)/(खाद्य परिरक्षण)/(खाद्य विज्ञान) में विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) अधिमानी:- एक-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
3.	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख', श्रेणी-2 (रसायन शाखा)	अनिवार्य:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानी:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या मृदा परीक्षण में पी-एच.डी. की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। एक-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
4.	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख', श्रेणी-2 (वनस्पति शाखा)	अनिवार्य:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या आनुवंशिकी के साथ पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि या पौध प्रजनन या आनुवंशिकी में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या वन विद्या में स्नातकोत्तर या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानी:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ऊपर लिखित किसी भी विषय में पी-एच.डी. की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। एक-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
5.	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख', श्रेणी-2 (शस्य शाखा)	अनिवार्य:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानी:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शस्य विज्ञान में पी-एच.डी. उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। एक-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
6.	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख', श्रेणी-2 (कृषि रक्षा शाखा)	अनिवार्य:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम0एस0सी0 (वनस्पति विज्ञान) या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम0एस0सी0 (प्राणि विज्ञान) में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानी:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान में पीएच.डी. की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। एक-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
7.	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख', श्रेणी-2 (विकास शाखा)	अनिवार्य:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अधिमानी:- एक-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

समकक्ष अर्हता:- शासन के पत्र संख्या : 347885/2023/कृषिअ-67-400 (36)/14 टी0सी0 दिनांक 04.08.2023 द्वारा उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' श्रेणी-2 (अधियंत्रण शाखा, विकास शाखा एवं विभिन्न शाखाओं यथा रसायन, वनस्पति, शस्य व कृषि रक्षा) की शैक्षिक अर्हता में दी गयी समकक्षता को स्पष्ट किया गया है जो कि निम्नवत् है:-

1. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि विपणन (अराजपत्रित) सेवानियमावली, 1992 के अन्तर्गत सहायक कृषि विपणन निरीक्षण/सहायक वर्गीकरण निरीक्षण के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता कृषि में स्नातक अथवा उसके समकक्ष अर्हता को स्पष्ट करते हुए शासनादेश संख्या-1309/67-कृषिअ-18-400(36)/14 टी0सी0, दिनांक 12 जून, 2018 द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह मत स्थिर किया गया है कि बी0एस0सी0 कृषि उपाधि के समकक्ष निम्नलिखित उपाधियों को माना गया है:-

- (1) बी0एस0सी0 (ऑनर्स) कृषि,
- (2) बी0एस0सी0 उद्यान/बी0एस0सी0 (ऑनर्स) उद्यान,
- (3) बी0एस0सी0 फोरेस्ट्री/बी0एस0सी0 (ऑनर्स) फोरेस्ट्री,
- (4) बी0 टेक (कृषि अभियांत्रिकी),
- (5) कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी0एस0सी0 (होम साइंस)/कम्प्यूनिटी साइंस की उपाधि।

2. उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख' श्रेणी-2 के सीधी भर्ती द्वारा चयन की कार्यवाही में एम0एस0सी (कृषि) की समकक्षता अर्हता का निर्धारण किये जाने के संबंध में निम्नलिखित शाखाओं में उल्लिखित विषयों में दी जाने वाली डिग्री/उपाधि को सम्मिलित किया जाता है:-

- (1) कृषि रसायन शाखा-में शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष मान्यता हेतु निम्न को माना गया है:-
1) एम0एस0सी0 (कृषि) मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन/M.Sc. (Agri) (Soil Science and agriculture Chemistry)
नया नाम एम0एस0सी (कृषि) मृदा विज्ञान/M.Sc. (Agri) (Soil Science)
- 2) नया नाम एम0एस0सी0 (कृषि) मृदा संरक्षण एवं जल प्रबंध/M.Sc. (Agri) (Soil Conservation & water management)
- (2) कृषि वनस्पति शाखा-में शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि वनस्पति में स्नातकोत्तर उपाधि या अनुवंशिकी के साथ पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि या पौध प्रजनन या अनुवंशिकी में

- विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या वन विद्या में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष मान्यता हेतु निम्न को माना गया है:-
- 1) एम0एस0सी0 (कृषि) वनस्पति विज्ञान / M.Sc. (Agri) Agriculture Botany.
 - 2) एम0एस0सी0 (कृषि) अनुवंशकीय एवं पादप प्रजनन / M.Sc. (Agri) Genetics and Plant Breeding.
 - 3) एम0एस0सी0 वन विज्ञान / M.Sc. (Forestry),
 - 4) एम0एस0सी0 (कृषि) फसल दैहिकी / M.Sc. (Agri.) Crop Physiology,
- (3) कृषि शास्त्र शाखा—में शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्र विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष मान्यता हेतु निम्न को माना गया है:-
- 1) एम0एस0सी0 (कृषि) शास्त्र विज्ञान / M.Sc. (Agri) Agronomy
- (4) कृषि रक्षा शाखा—में शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान पौध रोग विज्ञान में विशेषता के साथ एम0एस0सी0 (वनस्पति विज्ञान) या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम0एस0सी0 (प्राणि विज्ञान) में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष मान्यता हेतु निम्न को माना गया है:-
- 1) एम0एस0सी0 (कृषि) (पादप संरक्षण / पादप रोग) / M.Sc. (Agri) Plant Protection/Plant Pathology,
 - 2) एम0एस0सी0 (कृषि) (कीट विज्ञान) / M.Sc. (Agri) Entomology,
3. उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेश संख्या-1309/67-कृषिअ-18-400(36)/14 टी0सी0, दिनांक 12 जून, 2018 में उल्लिखित उपाधियों को सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरांत बी0एस0सी0 (कृषि) के समकक्ष माना जा चुका है, जिसमें किसी संशोधन का औचित्य नहीं पाया गया है।
 4. उपरोक्त प्रस्तर-3 में अंकित कृषि रसायन शाखा, कृषि वनस्पति शाखा, कृषि शाखा, कृषि रक्षा शाखाओं को उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह- 'ख' श्रेणी-2 के सीधी भर्ती में चयन की कार्यवाही एम0एस0सी0 (कृषि) के समकक्ष अर्ह माना जाता है।

ग्रुप-बी
केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन वाले पद

क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
1.	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (शास्त्र शाखा)	अनिवार्य —किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से शास्त्र विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। अधिमानी — एक—प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो—राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
2.	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (वनस्पति शाखा)	अनिवार्य —किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से उत्पत्ति विज्ञान सहित कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि या जननिकी या पौध प्रजनन में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। अधिमानी — एक—प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो—राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
3.	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (पौध संरक्षण शाखा)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पादप रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या पादप रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम.एस.सी. जन्तु विज्ञान, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। अधिमानी — एक—प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो—राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
4.	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (रसायन शाखा)	अनिवार्य —किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। अधिमानी — एक—प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो—राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
5.	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (विकास शाखा)	अनिवार्य —किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक आवश्यक है। अधिमानी — एक—प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो—राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

नोट— आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।

पदों की संगत सेवा नियमावलि

- उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह—'ख' सेवा नियमावली, 1993।
- उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह—'ख' सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018।
- उत्तर प्रदेश समूह "ख" सेवा नियमावली, 1995।
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1998।
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011।
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019।

10. आयु सीमा— (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2024 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1984 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1969 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट— (क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उप्र. राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षण कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1979 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।

(ग) उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि +03 वर्ष के बराबर छूट अनुमत्य होगी।

11. सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में कतिपय सूचनाएँ—

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ. प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0 200/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/- योग रू0 225/- तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रू0 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/- योग रू0 105/- निर्धारित है। शैक्षिक आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य

परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/- मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रू0 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/- योग रू0 105/- निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला, कुशल/उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा।

(2) सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क सबमिट/जमा करना होगा।

(3) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है।

(4) मुख्य परीक्षा हेतु तिथि तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

(5) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य (लिखित) परीक्षा के आधार पर सफल घोषित होंगे।

(6) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्रादि भरना होगा।

(7) साक्षात्कार वाले पदों हेतु अधिमान्यताएँ साक्षात्कार के समय एवं शेष पदों हेतु यथास्थिति/यथासमय माँगी जायेंगी। प्राप्त अधिमान्यताओं में कोई परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा एवं इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा।

(9) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(10) साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

नोट— सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा-2024 के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

12. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश—

(1) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत् परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है।

(2) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise (sync) करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। गलत/भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को (मुख्य परीक्षा के) आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(5) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमत्य होगा।

(6) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

(8) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(10) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(11) कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। **(12)** आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R. No./Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

(13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(14) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे तथा मुख्य (लिखित) परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु तीन गुना अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे।

(15) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(16) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(17) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर माँगी गयी सूचना संबंधित गोलों को काला करके सही-सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ड्राइटर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(18) OMR Answer Sheet दो प्रतियों में एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे।

(19) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी:- 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(21) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

(22) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटचित Submit किया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

सामान्य अनुदेश

1- अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2- आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रणाली में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

4- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/79-वी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6- किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7- यदि अभ्यर्थी को ऑन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8- प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट-1 पर, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-2 पर, प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना परिशिष्ट-3 पर, प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट-4 तथा परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application will be dropped and the procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make possible the submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name.

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with

successfully submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:- NOTIFICATIONS /ADVERTISEMENTS

• All Notification/Advertisements

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

• Candidate Registration

• Fee Deposition /Reconciliation

• Submit Application Form

• Modify Submitted Application

• Candidate Dashboard (OTR Based)

:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

• Double Verification mode

• View Application Status

• Download Admit Card

• Print Duplicate Registration Slip

• Print Detailed Application Form

• List of Applications Having ANY Objections

• View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट – 1

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्नवत् हैं:-

(1) लखनऊ एवं (2) प्रयागराज

परिशिष्ट – 2

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश केग्राम..... तहसीलनगर जिला में सामान्यतया रहता है।
स्थान हस्ताक्षर.....
दिनांक पूरा नाम.....
मुहर पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री... निवासी ग्राम..... तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
स्थान हस्ताक्षर
दिनांक पूरा नाम
मुहर पद कानाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक

वित्तीय वर्षके लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पति/पुत्री.....

ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला ..
 राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे,
 अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल
 वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी
 परिसम्पत्ति नहीं है:-

- 5 (पॉंच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
- एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
- अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित
 जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का
 पासपोर्ट साईज
 का
 अभिप्रमाणित
 फोटोग्राफ

हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित)
 पूरा नाम
 पदनाम
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
 मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(B) The diagnosis in his/her case is.....
 (A) he/she has% (in figure)..... percent
 (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to
 his/her..... (part of body) as per guidelines (.....number and
 date of issue of the guidelines to be specified).
 2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate
3. Signature and seal of the Medical Authority. (Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Chairperson Medical Board with seal
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

(प्रपत्र- I I)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र
स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना
 ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक
 रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

- मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित
 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
- मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु
 (शब्दों में) है।
- मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।
 अथवा
 कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक
 रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में
 से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

- 5 (पॉंच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
- एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
- अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं
 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी
 गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर
 दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति
 निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया
 गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली
 कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।
 नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
 स्थान :- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।
 दिनांक:-

Form-III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent
 passport size
 attested
 photograph
 (showing face
 only) of the
 person with
 disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum
 son/wife/ daughter of Shri Date of birth
 (DD/MM/YY).....age..... years,
 male/ female.....R egistration No.....
 permanent resident of House No.....
 Ward/Village/Street..... Post Office.....
 District..... State.....
 whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
 (A) he/she is a case of
 Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been
 evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to
 be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in
 the table below:

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र
(दिव्यांगजन प्रारूप)
Form-II
Certificate of Disability
(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism
and in case of blindness)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent
 passport size
 attested
 photograph
 (showing face
 only) of the
 person with
 disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.....
 son/wife/daughter of Shri.....Date of Birth
 (DD/MM/YY).....Ageyears,
 male/female..... registration No.
 permanent resident of House No.
 Ward/Village/Street.....Post office.....
 District.....State.....
 whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
 (A) he/she is a case of:
 ● locomotor disability
 ● dwarfism
 ● blindness
 (Please tick as applicable)

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per
 guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:
 In figures.....percent.
 In words.....percent
 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD) (MM) (YY) @ -e.g. Left/right/both arms/legs # - e.g. Single eye £ - e.g. Left/Right/both ears 4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-		£ e.g. Left/Right/both ears 4. Signature and seal of the Medical Authority.																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>Name and Seal of Member</td> <td>Name and Seal of Member</td> <td>Name and Seal of the Chairperson</td> </tr> </table>		Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson	<table border="1"> <tr> <td>Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued</td> <td>Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</td> </tr> </table>		Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)																																																																																															
Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson																																																																																																					
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>Nature of Document</td> <td>Date of Issue</td> <td>Details of authority Issuing certificate</td> </tr> </table>		Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र। प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी निवासी ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपर्युक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)के आश्रित हैं। स्थान..... हस्ताक्षर दिनांक..... पूरा नाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी..... सील.....																																																																																																		
Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate																																																																																																					
5. Signature and seal of the Medical Authority. <table border="1"> <tr> <td>Name and Seal of Member</td> <td>Name and Seal of Member</td> <td>Name and Seal of the Chairperson</td> </tr> </table>		Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson	कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर																																																																																																		
Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson																																																																																																					
Form-IV Certificate of Disability (In cases of other than those mentioned in Forms II and III) (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate) Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. Date: This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum..... son/wife/daughter of Shri Date of birth (DD/MM/YY) age years, male/female..... Registration No..... permanent resident of House No..... Ward/Village/Street..... Post Office..... District..... State..... whose photograph is affixed above, and am satisfied that : (A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:		प्रारूप - 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता)ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम).....आयोजित राष्ट्रीय.....में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Disability</th> <th>Affected part of body</th> <th>Diagnosis</th> <th>Permanent physical/impairment/mental disability (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Locomotor disability</td><td>@</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td>Muscular Dystrophy</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td>Leprosy Cured</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td>Cerebral Palsy</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td>Acid attack Victim</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td>Low Vision</td><td>#</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td>Deaf</td><td>£</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td>Hard of Hearing</td><td>£</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9.</td><td>Speech and Language disability</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10.</td><td>Intellectual Disability</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.</td><td>Specific Learning Disability</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12.</td><td>Autism Spectrum Disorder</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13.</td><td>Mental illness</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14.</td><td>Chronic Neurological Conditions</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15.</td><td>Multiple sclerosis</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16.</td><td>Parkinson's disease</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17.</td><td>Haemophilia</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18.</td><td>Thalassemia</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19.</td><td>Sickle Cell disease</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/mental disability (in %)	1.	Locomotor disability	@			2.	Muscular Dystrophy				3.	Leprosy Cured				4.	Cerebral Palsy				5.	Acid attack Victim				6.	Low Vision	#			7.	Deaf	£			8.	Hard of Hearing	£			9.	Speech and Language disability				10.	Intellectual Disability				11.	Specific Learning Disability				12.	Autism Spectrum Disorder				13.	Mental illness				14.	Chronic Neurological Conditions				15.	Multiple sclerosis				16.	Parkinson's disease				17.	Haemophilia				18.	Thalassemia				19.	Sickle Cell disease				प्रारूप - 3 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम	
S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/mental disability (in %)																																																																																																			
1.	Locomotor disability	@																																																																																																					
2.	Muscular Dystrophy																																																																																																						
3.	Leprosy Cured																																																																																																						
4.	Cerebral Palsy																																																																																																						
5.	Acid attack Victim																																																																																																						
6.	Low Vision	#																																																																																																					
7.	Deaf	£																																																																																																					
8.	Hard of Hearing	£																																																																																																					
9.	Speech and Language disability																																																																																																						
10.	Intellectual Disability																																																																																																						
11.	Specific Learning Disability																																																																																																						
12.	Autism Spectrum Disorder																																																																																																						
13.	Mental illness																																																																																																						
14.	Chronic Neurological Conditions																																																																																																						
15.	Multiple sclerosis																																																																																																						
16.	Parkinson's disease																																																																																																						
17.	Haemophilia																																																																																																						
18.	Thalassemia																																																																																																						
19.	Sickle Cell disease																																																																																																						
(Please strike out the disabilities which are not applicable) 2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is :- (i) not necessary. or (ii) is recommended/afteryears months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) @ e.g. Left/right/both arms/legs # e.g. Single eye/both eyes																																																																																																							

<p>पद संस्था का नाम मुहर</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p>	<p>7. अधुनातन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम</p> <p>8. सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता</p> <p>9. उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन-सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी।</p> <p>10. प्रारम्भिक गणित (आठवीं स्तर तक)—अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित</p> <p>11. पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण</p>																																																									
<p style="text-align: center;">प्रारूप - 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा / खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।</p> <p>यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स / शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर</p> <p>दिनांक नाम</p> <p>पद</p> <p>संस्था का नाम</p> <p>मुहर</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक / या अतिरिक्त / संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स / शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।</p>	<p style="text-align: center;">कृषि विषय</p> <p>फसल वितरण एवं उत्पादन के पर्यावरणीय कारक, फसल वृद्धि के कारक के रूप में जलवायुवीय घटक। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सस्य-जलवायुवीय क्षेत्रों में फसल क्रम, टिकाऊ फसल उत्पादन के सम्बन्ध में बहुफसली, बहुखण्डीय, रिले एवं सहफसली खेती का महत्त्व एवं संकल्पना। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ एवं रबी में उगायी जाने वाली मुख्य धान्य, दलहनी, तिलहनी, रेशे, शर्करा एवं नकदी फसलों के उत्पादन की सघन पद्धतियाँ। कृषि-वानिकी एवं सामाजिक-वानिकी के संदर्भ में वनीय पौधों के विभिन्न प्रकार, उनकी महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ, क्षेत्र एवं प्रवर्धन। खरपतवार, उनकी विशेषताएँ, विस्तार, विभिन्न फसलों के साथ संगति, उनका गुणन एवं नियन्त्रण। आधुनिक संकल्पना के साथ भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा के खनिज और जैविक अवयवों एवं उनकी मृदा उत्पादकता को बनाये रखने में महत्त्व। भारत में समस्याग्रस्त मृदाओं की सीमा क्षेत्र और वितरण एवं उनका सुधार। मृदा एवं पौधों के लिए आवश्यक एवं लाभकारी पोषक तत्व, उनका स्रोत वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कार्य एवं चक्र। सहजीवी एवं असहजीवी नत्रजन स्थिरीकरण, मृदा उर्वरता के सिद्धान्त एवं न्यायसंगत उर्वरक उपयोग के लिये उनका मूल्यांकन। मृदा संरक्षण एवं जलागम के आधार पर उनकी योजना, शुष्क कृषि एवं इसकी समस्याएँ, उत्तर प्रदेश के वर्षा आधारित खेती के क्षेत्र में कृषि उत्पादन को स्थिर करने हेतु तकनीकी। जैविक खेती की आवश्यकता एवं महत्त्व।</p> <p>सिंचाई एवं जल निकास, प्रक्षेत्र प्रबन्ध एवं इसका महत्त्व एवं विशेषताएँ, कृषि अर्थव्यवस्था में सहकारिता का योगदान, खेती के प्रकार और पद्धति एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। कृषि प्रसार, इसका महत्त्व एवं योगदान, प्रसार कार्यक्रम की विधियाँ, संचार, नवाचार को अपनाना। किसानों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रसार पद्धति एवं कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं भ्रमण, कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.), नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट (एन.ए.टी.पी.), इन्स्टीट्यूशन वीलेज लिंकेज प्रोग्राम (आई.वी.एल.पी.), डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट (डी.ए.एस.पी.) एवं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी (ए.टी.एम.ए.)। प्रक्षेत्र यन्त्रीकरण, ग्रामीण रोजगार एवं कृषि उत्पादन में इसका योगदान।</p> <p>आनुवंशिकता और विभिन्नता, मेंडल के वंशागति के नियम। मुख्य फसलों के सुधार में पादप प्रजनन के सिद्धान्तों का उपयोग, स्व एवं पर-परागित फसलों में प्रजनन की विधियाँ। पुरःस्थापन, चयन, संकरण, नरबंध्यता एवं स्वअनिषेच्यता। बीज पौद्योगिकी एवं इसका महत्त्व, उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण एवं बीजों का परीक्षण। उन्नतशील बीज के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन में राष्ट्रीय एवं राज्य बीज संगठन का योगदान, कृषि में पादप वैज्ञानिकी का महत्त्व, जल का अवशोषण एवं स्थानान्तरण, वाष्पोत्सर्जन एवं जल की बचत।</p> <p>प्रकाश संश्लेषण- आधुनिक संकल्पना एवं प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। वायुवीय एवं अवायुवीय श्वसन, वृद्धि एवं विकास, पादप वृद्धि नियामक एवं उनके कार्य करने की क्रियाविधि तथा फसल उत्पादन में महत्त्व। मुख्य फलों, सब्जियों एवं शोभाकारी फसलों की खेती की जलवायुवीय आवश्यकता, पैकेज एवं क्रियाएँ और उनके लिये वैज्ञानिक आधार। फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण की विधियाँ एवं सिद्धान्त, फूलों की खेती एवं शोभाकारी पौधों को उगाना। उत्तर प्रदेश के सब्जियों, फलों, शोभाकारी पौधों, धान्य, दलहनी, तिलहनी, रेशे, शर्करा एवं नकदी फसलों के रोग एवं कीट तथा उनका प्रबंधन। रोग एवं कीटों का एकीकृत प्रबंधन। भारत में खाद्यान्न उत्पादन एवं उपभोग का प्रचलन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीतियाँ, खरीद वितरण, प्रसंस्करण एवं उत्पादन में अवरोध।</p>																																																									
<p style="text-align: center;">Appendix-3 परीक्षा की योजना उ0प्र0 सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा परीक्षा योजना प्रथम चरण-प्रारम्भिक परीक्षा</p> <table border="0"> <tr> <td>प्रश्नपत्र का नाम</td> <td>-</td> <td>सामान्य अध्ययन एवं कृषि</td> </tr> <tr> <td>प्रश्नपत्र का प्रकार</td> <td>-</td> <td>वस्तुनिष्ठ / बहुविकल्पीय प्रकारक</td> </tr> <tr> <td>प्रश्नपत्र की संख्या</td> <td>-</td> <td>(01) एक</td> </tr> <tr> <td>प्रश्नों की संख्या</td> <td>-</td> <td>120 (सामान्य अध्ययन के - 40 प्रश्न तथा कृषि विषय के 80 प्रश्न)</td> </tr> <tr> <td>प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक</td> <td>-</td> <td>2.5 (ढाई अंक)</td> </tr> <tr> <td>निर्धारित कुल अंक</td> <td>-</td> <td>300 (तीन सौ)</td> </tr> <tr> <td>समयावधि</td> <td>-</td> <td>02 घण्टा</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">द्वितीय चरण - मुख्य (लिखित) परीक्षा</p> <table border="0"> <tr> <td>प्रश्नपत्रों की संख्या</td> <td>-</td> <td>03 (तीन)</td> </tr> <tr> <td>प्रथम सत्र, समयावधि</td> <td>-</td> <td>03:00 (तीन) घंटा</td> </tr> <tr> <td>1. प्रथम प्रश्नपत्र</td> <td>-</td> <td>सामान्य अध्ययन</td> </tr> <tr> <td>समय</td> <td>-</td> <td>1.30 (डेढ़) घंटा</td> </tr> <tr> <td>पूर्णांक</td> <td>-</td> <td>50 (पचास) अंक</td> </tr> <tr> <td>2. द्वितीय प्रश्नपत्र</td> <td>-</td> <td>सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध</td> </tr> <tr> <td>समय</td> <td>-</td> <td>1.30 (डेढ़) घंटा</td> </tr> <tr> <td>पूर्णांक</td> <td>-</td> <td>50 (पचास) अंक</td> </tr> <tr> <td>द्वितीय सत्र, समयावधि</td> <td>-</td> <td>03:00 (तीन) घंटा</td> </tr> <tr> <td>1. तृतीय प्रश्नपत्र</td> <td>-</td> <td>वैकल्पिक विषय</td> </tr> <tr> <td>समय</td> <td>-</td> <td>3 (घंटा)</td> </tr> <tr> <td>पूर्णांक</td> <td>-</td> <td>250 (दो सौ पचास अंक)</td> </tr> </table> <p>नोट: (ध्यातव्य है कि प्रथम प्रश्नपत्र-सामान्य अध्ययन में 10 प्रश्न अतिरिक्त-प्रति प्रश्न 01 (एक) अंक, शब्द सीमा-25 (पचीस) शब्द, 05 प्रश्न लघुउत्तरीय-प्रतिप्रश्न (03) तीन अंक, शब्द सीमा 75 (पचहत्तर) शब्द 05 (पाँच), प्रश्न दीर्घउत्तरीय-प्रतिप्रश्न 05 (पाँच) अंक, शब्द सीमा 125 (एक सौ पचीस) शब्द प्रावधानित हैं। द्वितीय प्रश्नपत्र-सामान्य हिन्दी (प्रथम खण्ड) हेतु 25 (पचीस) अंक तथा हिन्दी निबन्ध (द्वितीय खण्ड) हेतु 25 (पचीस) अंक निर्धारित है।) तृतीय प्रश्नपत्र (वैकल्पिक विषय) में प्रश्नपत्र का स्वरूप शाखा / विषयवार व अंकों का विभाजन निम्नवत् है:-</p> <p>‘प्रश्नों की कुल संख्या-08 (आठ) होगी। प्रश्नपत्र खण्ड ‘अ’ एवं खण्ड ‘ब’ दो भागों में विभाजित होगा। खण्ड ‘अ’ में 04 (चार) प्रश्न तथा खण्ड ‘ब’ में 04 (चार) प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या-01 एवं 05 दोनों अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक खण्ड से न्यूनतम दो प्रश्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे तथा कुल 05 (पाँच) प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।’</p> <p>परीक्षा का तृतीय चरण-साक्षात्कार - कुल अंक-50 (केवल उन पदों के लिए जिसमें साक्षात्कार होना है।)</p>	प्रश्नपत्र का नाम	-	सामान्य अध्ययन एवं कृषि	प्रश्नपत्र का प्रकार	-	वस्तुनिष्ठ / बहुविकल्पीय प्रकारक	प्रश्नपत्र की संख्या	-	(01) एक	प्रश्नों की संख्या	-	120 (सामान्य अध्ययन के - 40 प्रश्न तथा कृषि विषय के 80 प्रश्न)	प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक	-	2.5 (ढाई अंक)	निर्धारित कुल अंक	-	300 (तीन सौ)	समयावधि	-	02 घण्टा	प्रश्नपत्रों की संख्या	-	03 (तीन)	प्रथम सत्र, समयावधि	-	03:00 (तीन) घंटा	1. प्रथम प्रश्नपत्र	-	सामान्य अध्ययन	समय	-	1.30 (डेढ़) घंटा	पूर्णांक	-	50 (पचास) अंक	2. द्वितीय प्रश्नपत्र	-	सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध	समय	-	1.30 (डेढ़) घंटा	पूर्णांक	-	50 (पचास) अंक	द्वितीय सत्र, समयावधि	-	03:00 (तीन) घंटा	1. तृतीय प्रश्नपत्र	-	वैकल्पिक विषय	समय	-	3 (घंटा)	पूर्णांक	-	250 (दो सौ पचास अंक)	<p style="text-align: center;">परिशिष्ट-5 सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा द्वितीय चरण-मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन</p> <p>प्रथम प्रश्नपत्र अधिकतम अंक-50</p> <p>भारतीय कृषि : भारत में कृषि की सामान्य समझ। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। परम्परागत कृषि, आधुनिक कृषि एवं कृषि का व्यवसायीकरण। हरित क्रान्ति, नीली क्रान्ति, पीली क्रान्ति एवं श्वेत क्रान्ति की भूमिका। कृषि की समस्याएँ एवं उनका समाधान। कृषि उत्पाद इसका प्रसंस्करण एवं विपणन।</p> <p>उ0प्र0 एवं भारत के सस्य जलवायु क्षेत्र। जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि एवं एकीकृत कृषि प्रणाली। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन की भूमिका। मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर पेस्टिसाइड के अवशेषों का प्रभाव। भारतीय कृषि में नवीनतम नवाचार।</p> <p>सामान्य विज्ञान और पौद्योगिकी : सामान्य विज्ञान, कम्प्यूटर और पौद्योगिकी का आधारभूत ज्ञान। इसमें भारत के विकास में किसी भी वैज्ञानिक विधा के दैनिक अवलोकन और अध्ययन के विषय</p>
प्रश्नपत्र का नाम	-	सामान्य अध्ययन एवं कृषि																																																								
प्रश्नपत्र का प्रकार	-	वस्तुनिष्ठ / बहुविकल्पीय प्रकारक																																																								
प्रश्नपत्र की संख्या	-	(01) एक																																																								
प्रश्नों की संख्या	-	120 (सामान्य अध्ययन के - 40 प्रश्न तथा कृषि विषय के 80 प्रश्न)																																																								
प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक	-	2.5 (ढाई अंक)																																																								
निर्धारित कुल अंक	-	300 (तीन सौ)																																																								
समयावधि	-	02 घण्टा																																																								
प्रश्नपत्रों की संख्या	-	03 (तीन)																																																								
प्रथम सत्र, समयावधि	-	03:00 (तीन) घंटा																																																								
1. प्रथम प्रश्नपत्र	-	सामान्य अध्ययन																																																								
समय	-	1.30 (डेढ़) घंटा																																																								
पूर्णांक	-	50 (पचास) अंक																																																								
2. द्वितीय प्रश्नपत्र	-	सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध																																																								
समय	-	1.30 (डेढ़) घंटा																																																								
पूर्णांक	-	50 (पचास) अंक																																																								
द्वितीय सत्र, समयावधि	-	03:00 (तीन) घंटा																																																								
1. तृतीय प्रश्नपत्र	-	वैकल्पिक विषय																																																								
समय	-	3 (घंटा)																																																								
पूर्णांक	-	250 (दो सौ पचास अंक)																																																								
<p style="text-align: center;">परिशिष्ट-4 उ0प्र0 सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा से सम्बन्धित प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन</p> <ol style="list-style-type: none"> सामान्य विज्ञान (हाईस्कूल स्तर तक) भारत का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार भारत एवं उत्तर प्रदेश का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन 																																																										

सहित विज्ञान, कम्प्यूटर और प्रौद्योगिकी की सामान्य समझ सम्मिलित होगी।

समसामयिक घटनाएँ : खेलों सहित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ।

भारतीय इतिहास एवं राज्य व्यवस्था : राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन सहित आधुनिक भारतीय इतिहास की राजनीतिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था की सामान्य समझ।

भारतीय संविधान, पंचायती राज सहित राजनीतिक व्यवस्था और सार्वजनिक नीति का सामान्य ज्ञान।

भारत का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था : भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल (विषय की सामान्य समझ अपेक्षित है)।

भारत की सामान्य आर्थिक समस्याएँ और उनके समाधान। भारत के बजट सहित इसकी आर्थिक नीतियों की मूलभूत विशेषताएँ।

द्वितीय प्रश्नपत्र

प्रथम खण्ड

सामान्य हिन्दी

अधिकतम अंक-25

1. अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।
2. अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी (शब्द भण्डार), वर्तनी, अर्थबोध, शब्द-रूप, सन्धि, समास, क्रियायें, हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ।
3. वाक्यों का हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद।

हिन्दी निबन्ध

द्वितीय खण्ड

अधिकतम अंक-25

इसके अन्तर्गत एक खण्ड होगा। इस खण्ड में से एक निबन्ध लिखना होगा। इस निबन्ध की अधिकतम विस्तार सीमा 500 शब्द होगी। निबन्ध हेतु निम्नवत् क्षेत्र होंगे:-

1. साहित्य, संस्कृति
2. राष्ट्रीय विकास योजनायें/क्रियान्वयन
3. राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय, सामयिक सामाजिक समस्यायें/निदान
4. विज्ञान तथा पर्यावरण
5. प्राकृतिक आपदायें एवं उनके निवारण
6. कृषि, उद्योग एवं व्यापार।

तृतीय प्रश्नपत्र

वैकल्पिक विषय-अधिकतम अंक-250

पाठ्यक्रम

(1) जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2 (ग्रेड-1) - कृषि एवं उद्यान विज्ञान

- उत्तर प्रदेश एवं भारत की शस्य जलवायुवीय क्षेत्र, कृषि मौसम विज्ञान का तात्पर्य एवं क्षेत्र, वायुमण्डलीय मौसम के परिवर्तनीय घटक, भूमण्डलीय उष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग), जलवायुवीय परिवर्तन के कारण एवं कृषि तथा औद्योगिक फसलों पर उसका प्रभाव। मौसम प्रतिकूलता-सूखा, बाढ़, पाला, गर्म तथा शीत हवायें।
- एकीकृत कृषि प्रणाली-क्षेत्र, महत्त्व, जैविक कृषि की संकल्पना। खरपतवार तथा इनका प्रबन्धन। एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन की संकल्पना, संतुलित पोषण, परिशुद्ध (यथार्थ) कृषि, सिंचाई एवं जल प्रबंधन।
- मानव पोषण में फलों एवं सब्जियों का महत्त्व। फलों एवं सब्जियों की पौधशाला (नर्सरी) की स्थापना। प्रवर्धन, विधियाँ, बागों का रेखांकन एवं रोपण। सधाई, कटाई-छटाई एवं खाद देने के सिद्धान्त एवं विधियाँ। भारतीय इत्र उद्योग, इत्र उद्योग में प्रगति। फलों, सब्जियों, शोभाकारी औषधीय एवं सगंधीय पादप की खेती-आम, अमरुद, आँवला, पपीता, केला, लीची, बेल, नींबू प्रजाति, टमाटर, बैंगन, भिण्डी, गाजर, मिर्च, लौकी, गुलाब, गेंदा, ग्लेडिओलस, घृतकुमारी, अश्वगंधा तथा सफेद मूसली।
- फल उत्पादन को प्रभावित करने वाले जैविक एवं अजैविक कारक। गृह एवं पोषण वाटिका की स्थापना। फलों एवं सब्जियों की जैविक खेती। कटाई एवं तोड़ाई के उपरांत औद्योगिक उत्पाद का प्रबन्धन। औद्योगिक उत्पाद को तैयार करने की विधियाँ-जैम, जेली, स्कवैश, अचार, टमाटर सॉस तथा कार्डियल एवं सगंधीय उत्पाद को तैयार करने की विधि।

(2) प्रधानाचार्य-राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य-प्रसंस्करण अधिकारी, श्रेणी-2 - खाद्य विज्ञान

- फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण के सिद्धान्त तथा विधियाँ।

• औद्योगिक फसलों की तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन।

- जैम, जेली, मार्मलेड, कैंडी, अचार, केचप, सॉस, स्कवैश एवं कार्डियल बनाने की विधि।
- फल संभलाव, छटनी, पैकेजिंग, फलों एवं सब्जियों का भंडारण विधियाँ गुण एवं दोष सहित।
- डिब्बाबंदी, पास्तुरीकरण, शून्य-ऊर्जा, शीतकक्ष, हरितविहीनता, परिपक्वता मानक, पूर्व शीतलन, नियंत्रित पर्यावरण संग्रह की संकल्पना।
- खाद्य-नुकसान-नुकसानकारकों के संदर्भ में खाद्य वर्गीकरण।
- औद्योगिक एवं निर्यात क्षमता, कृषि निर्यात क्षेत्र तथा औद्योगिक समर्थन।
- महत्त्वपूर्ण फलों एवं सब्जियों में उपस्थित विटामिन।
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006।

(3) उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' श्रेणी-2 एवं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए की विभिन्न शाखाओं हेतु:-

1(i) शस्य शाखा

शस्य विज्ञान

- कृषि मौसम विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र, वायुमण्डलीय मौसम के घटक, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण और कृषि पर इसका प्रभाव, मौसम सम्बन्धी खतरे, सूखा, बाढ़, पाला, गर्म लहर एवं शीतलहर। उत्तर प्रदेश एवं भारत के शस्य जलवायुविक क्षेत्र।
- फसल उत्पादन के वैज्ञानिक सिद्धान्त, उत्पादन फलन एवं कारक प्रतिफल, मृदा-पादप में सम्बन्ध की संकल्पना, पौध वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, भूपरिष्करण की आधुनिक संकल्पना, एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन की संकल्पना, परिशुद्ध कृषि-संकल्पना एवं तकनीकी।
- टिकाऊ कृषि-समस्याएँ और कृषि पर इसका प्रभाव, संरक्षण कृषि, कृषि की रणनीतियाँ, संसाधन उपयोग दक्षता और प्रौद्योगिकियों का अनुकूलन।
- कृषि प्रणाली-क्षेत्र, महत्त्व, संकल्पना, सिद्धान्त एवं घटक। फसल प्रणाली एवं फसल क्रम बहुफसली खेती, सहफसली खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली, जैविक खेती-संकल्पना, महत्त्व एवं वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिकता।
- खरपतवार-विशेषताएँ, खरपतवार बायोलॉजी, खरपतवारों का प्रसार, खरपतवार-फसल सहसम्बन्ध, खरपतवारों का गुणन, खरपतवार नियंत्रण एवं प्रबन्धन। फसल-खरपतवार प्रतियोगिता, एकीकृत खरपतवार प्रबन्धन, शाकनाशी-वर्गीकरण, नियमन, प्रयोग करने की विधियाँ।
- शुष्क कृषि एवं वर्षा आधारित कृषि : विशेषताएँ, भारत में वर्षा आधारित कृषि की समस्याएँ और संभावनाएँ, जलागम प्रबंधन की अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धान्त और घटक।
- सिंचाई एवं जलप्रबन्धन, सिंचाई समय सारिणी का निर्धारण, सिंचाई की विधियाँ, जल निकास, अपवाह, सिंचाई जल का क्षरण, जल उपयोग दक्षता।
- पोषक तत्वों की अनिवार्यता के मानदंड और उनके कार्य, कमी एवं मृदा में पोषक तत्वों के रूप। मृदा उत्पादकता एवं उर्वरता-परिभाषा, महत्त्व एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक।
- अम्लीय, चूनायुक्त एवं लवण प्रभावित मृदाएँ : उनकी विशेषताएँ, पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं सुधार।
- खाद एवं उर्वरक : प्रकार, प्रयोग करने की विधि, पोषक तत्व उपयोग दक्षता, पोषक तत्व उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन की संकल्पना, संतुलित पोषण, जैव उर्वरक, वर्मीकम्पोस्ट एवं हरी खाद-महत्त्व एवं बनाने की विधि।
- उत्तर प्रदेश एवं भारत में खरीफ, रबी एवं जायद में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलें, मिलेट्स, दलहनी, तिलहनी, रेशे वाली, चारा फसलें, शर्करा फसलें एवं नकदी फसलों की फसल उत्पादन की पैकेज एवं प्रैक्टिस।

1(ii) वनस्पति शाखा : कृषि वनस्पति विज्ञान/आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन

- आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन के ऐतिहासिक संदर्भ। मेंडल के वंशागति के नियम, बहु विकल्पी, जीन अन्वयनकरण और बहु कारक परिकल्पना। सहलग्नता, जीन विनियम एवं जीन मानचित्रण। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन-समसूत्री एवं अर्द्धसूत्री विभाजन।
- गुणसूत्र : संरचना, कार्य और विशिष्ट प्रकार। गुणसूत्रों में संरचनात्मक एवं संख्यात्मक परिवर्तन एवं उनके अनुप्रयोग।
- आनुवंशिक द्रव्य की प्रकृति, संरचना एवं प्रतिकृति। प्रोटीन का जैवसंश्लेषण तथा प्रोकेरियोटिक एवं यूकेरियोटिक जीवों में जीन विनियमन। आनुवंशिक कोड और उत्परिवर्तन।
- जनन विधियाँ, पौध उद्भव केन्द्र और जननद्रव्य का संरक्षण। विभिन्नता-कारण, प्रकार एवं महत्त्व। वंशागतित्व एवं आनुवंशिक प्रगति।

• स्व-और पर-परागति फसलों में प्रजनन की विधियाँ। संकर ओज एवं इसके आनुवंशिक आधार। नर बन्धता-प्रकार और वाणिज्यिक समुपयोग। जैविक तथा अजैविक प्रतिबल रोधिता के लिए प्रजनन।

• जैव प्रौद्योगिकी एवं कृषि में इसका महत्व। ऊतक संवर्धन एवं इसके प्रकार। डी.एन.ए. चिन्हक-आर.एफ.एल.पी., आर.ए.पी.डी., ए.एफ.एल.पी., एस.एस.आर. और एस.एन.पी.। चिन्हक सहायतित चयन तथा पारजीनी फसलों का विकास।

• गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन के सिद्धान्त। बीजों की श्रेणियाँ, बीज परीक्षण, बीज प्रमाणीकरण एवं बीज अधिनियम। धान्य, दलहनी और तिलहनी फसलों के गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन की तकनीक। प्रजाति विमोचन और डी.यू.एस. परीक्षण।

1(iii) कृषि रक्षा शाखा तथा पौध संरक्षण शाखा : फसल सुरक्षा

• भारत में पौध संरक्षण का इतिहास एवं महत्त्व।

• उत्तर प्रदेश में पौध संरक्षण संगठन की स्थापना।

• नाशीजीव प्रबन्धन के सिद्धान्त क्रमशः वैधानिक शस्य, भौतिक, यान्त्रिक, जैविक, रसायन एवं एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन।

• पौध संरक्षण यंत्रों का देखभाल एवं रखरखाव।

• अनाजों एवं दलहनी फसलों के भण्डारण कीट।

• प्रमुख फसलों में एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन, धान्य (धान, गेहूँ, जौ एवं मक्का), मोटे अनाज (ज्वार एवं बाजरा), तिलहनी फसल (सरसों, तिल एवं सूर्यमुखी), दलहनी फसल (अरहर, मटर, चना, मसूर, उर्द एवं मूंग), गन्ना तथा कपास।

• पौध संरक्षण का सामान्य सिद्धान्त एवं कृषि में इसका महत्त्व।

• पौध संक्रमण के कारक एवं इनके पृथक्कीकरण की विधियाँ।

• पौध रोग प्रबन्धन की रासायनिक विधियाँ, रोग प्रतिरोधक विधियाँ, बीजोपचार छिड़काव, धूलिमाज्ज, जैवकवकनाशी एवं विभिन्न प्रतिजैविकों की कार्य विधि।

• उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में अनाज, दलहनी, तिलहनी, फलों एवं सब्जियों के प्रमुख रोग के लक्षण, हेतुकी, संचरण एवं प्रबन्धन।

• पौधों में सूत्रकृमियों से लगने वाले रोग एवं उनका प्रबन्धन।

• गैर कीटनाशी जीव एवं उनका प्रबंधन।

• फलों एवं सब्जियों के प्रमुख कीट, रोग एवं उनका प्रबन्धन।

1(iv) रसायन शाखा : मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन

• मृदा उत्पत्ति, वर्गीकरण एवं सर्वेक्षण-मृदा परिच्छेदिका एवं संस्तर। मृदा निर्माण के कारक एवं प्रक्रम। मृदा निर्माण के चट्टान एवं खनिज। चट्टानों का अपक्षय। मृदा टैक्सोनामी की मुख्य विशेषताएं। निदानसूचक संस्तर, मृदा तापक्रम एवं नमी व्यवस्था के प्रकार। मृदा टैक्सोनामी के विभिन्न गणों का विवरण। भारतवर्ष में पायी जाने वाली विभिन्न मृदाओं की विशेषतायें एवं उनका वितरण। मृदा सर्वेक्षण की परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार एवं भूमि उपयोगिता वर्गीकरण।

• मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण। मृदा की खनिज एवं जैविक भाग एवं उनकी मृदा उत्पादकता को बनाये रखने में महत्त्व। आवश्यक पादप तत्व-मुख्य, सूक्ष्म एवं मृदा में अन्य लाभकारी तत्व। आवश्यक पोषक तत्वों के कमी के लक्षण एवं उनका कार्य। तत्व उपलब्धता के स्रोत एवं प्रकार। मृदा उर्वरता के सिद्धान्त एवं एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन। मृदा में नत्रजन की हानि एवं फास्फोरस तथा पोटैश स्थिरीकरण। अम्लीय, लवणीय एवं जलमग्न मृदाओं के रासायनिक गुण एवं उनके सुधार की विधियाँ।

• मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान-सहजीवी एवं असहजीवी नत्रजन स्थिरीकरण। पोषक तत्वों का सूक्ष्मजीवी रूपांतरण एवं मृदा कार्बनिक पदार्थ का जैव अवक्रमण। जैव उर्वरक और फसल उत्पादन में इसकी उपयोगिता।

• मृदा परीक्षण के उद्देश्य एवं संकल्पना। मृदा परीक्षण के लिए मृदा नमूना एकत्र करने की विधियाँ। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली सामान्य मृदा परीक्षण विधियाँ। मृदा में पोषक तत्वों की महत्वपूर्ण सीमा। भारतवर्ष की मृदाओं में पोषक तत्वों का स्तर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा फसल उत्पादन बढ़ाने में इनका योगदान।

• कृषि से सम्बन्धित मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या। प्रदूषणों की प्रकृति एवं स्रोत, उनका फसलों तथा मृदाओं पर प्रभाव। मृदा अपशिष्ट निपटान का एक स्रोत। कीटनाशक-उनका वर्गीकरण एवं मृदा में उनकी प्रकृति तथा मृदा सूक्ष्म जीवों पर उनका प्रभाव। जहरीले तत्व-उनके स्रोत, मृदा में उनकी प्रकृति तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। पोषक तत्वों एवं

कीटनाशकों के निष्कालन से जल संसाधनों का प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैस-कार्बन डाई आक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रस आक्साइड। प्रदूषित मृदा एवं जल संसाधनों के सुधार की विधियाँ।

• मृदा कटाव-जल क्षरण की परिभाषा, प्रक्रिया, प्रकार और प्रभावित करने वाले कारक। मृदा एवं जल संरक्षण विधियाँ-शस्य, अभियान्त्रिकी एवं वानिकी विधियाँ। वायुक्षरण रोकथाम विधियाँ-सतही एवं वानिकी (वायुरोधक एवं रक्षापट्टी)। समस्याग्रस्त क्षेत्रों-बीहड़ एवं खड्ड, जलमग्न क्षेत्र, लवणीय मृदा, पहाड़ी ढलान, भूस्खलन, बहाव-कटाव नियंत्रण, बालू के टीलों का स्थिरीकरण एवं अन्य बंजर/बेकार भूमियों में वृक्षारोपण को प्रभावी बनाने की भूमिसंरक्षण विधियाँ।

• जलागम प्रबन्धन-संकल्पना, सिद्धान्त, उद्देश्य, क्रमवार कार्य एवं घटक। जलागम प्रबन्धन से सम्बन्धित योजनाएं एवं जैव औद्योगिक जलागम प्रबन्धन की संकल्पना।

(2) कृषि विकास शाखा : कृषि विकास

• कृषि मौसम विज्ञान का महत्त्व, ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन), जलवायु परिवर्तन के कारण एवं कृषि पर इसका प्रभाव, मौसम प्रतिकूलता-सूखा, बाढ़ एवं पाला, उत्तर प्रदेश एवं भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र।

• एकीकृत कृषि प्रणाली-क्षेत्र, महत्त्व, संकल्पना, फसल पद्धति एवं फसल क्रम, सहफसली एवं बहुफसली खेती, जैविक खेती, केचुएं की खाद का उत्पादन, जैव उर्वरक, मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड।

• सतत कृषि-समस्यायें तथा इसका कृषि पर प्रभाव, एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन की संकल्पना (आई.एन.एम.), एकीकृत कीटनाशी प्रबन्धन (आई.पी.एम.), एकीकृत खरपतवार प्रबन्धन (आई.डब्ल्यू.एम.), जलागम प्रबन्धन-संकल्पना के उद्देश्य एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन।

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एवं दुग्ध विकास का योगदान, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, भारत में विभिन्न कृषि क्रान्तियाँ, बीज के प्रकार, बीज उत्पादन, औषधीय एवं मसालों की खेती, कुक्कुट पालन, सूकर पालन, मत्स्य पालन, पौधशाला प्रबन्धन, कस्टम हायरिंग सेवाएं, खाद्यान्न प्रसंस्करण, जलवायु परिवर्तन को सीमित रखने में कृषि वानिकी का योगदान।

• स्वतन्त्रता के पूर्व एवं पश्चात् कृषि प्रसार का प्रयास, कृषि में कृषि विज्ञान केन्द्र, सूचना तकनीकी एवं संचार का योगदान। ग्रामीण विकास कार्यक्रम-स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.), कृषि तकनीकी प्रबन्धन अभिकरण (आत्मा), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (आई.ए.पी.), राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि अभियान (एन.एम.एस.ए.), कृषि पक्षेत्र पर जल प्रबन्धन (ओ.एफ.डब्ल्यू.एम.), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.), प्रति बूँद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.के.एस.एन.), राष्ट्रीय कृषि मण्डी योजना (ई-नाम), किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), गैर-सरकारी संस्थान (एन.जी.ओ.), स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), किसान क्रेडिट कॉर्ड (के.सी.सी.), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)।

• पैकेज एवं प्रैक्टिसिस :-

- धान्य फसलें:- धान, गेहूँ, मक्का एवं जौ
- मोटे अनाज की फसलें:- ज्वार, बाजरा, रागी, साँवा, कंगनी, कोदो एवं कुटकी
- दलहनी फसलें:- अरहर, चना, मसूर, मटर, उर्द एवं मूंग
- तिलहनी फसलें:- सरसों एवं राई, अलसी, तिल, सोयाबीन एवं सूरजमुखी
- नकदी फसलें:- गन्ना एवं आलू
- सब्जी की फसलें:- टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिण्डी, फूलगोभी एवं पत्ता गोभी
- फल वाली फसलें:- आम, अमरुद, आँवला, केला एवं पपीता
- फूल की फसलें:- ग्लैडिओलस, गेंदा एवं गुलाब

सचिव